न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री राजकुमार खेमचन्दानी निवासी 812 (डी)/22, विकास विहार कॉलोनी, बालपुरा रोड, आदर्श नगर, अजमेर। —अपीलार्थी	बनाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार, भीलवाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :28.02.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 18.01.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 542143 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 21.12.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक सू.क.अ./2022/33 दिनांक 28.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 03 तक में चाही गयी सूचना का नियमानुसार जवाब/सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 04 दिनांक 06.01.2022 से अपीलार्थी को जरिये डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा